



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित


PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सौमवार, मार्च 19, 2001/फाल्गुन 28, 1922

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2001/PHALGUNA 28, 1922



पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2001

का. आ. 241(अ).—जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत करना आवश्यक हो गया है;

अतः राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) की धारा 13 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां) नियमावली, 1998 के अधीन अपिंत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष हेतु विहित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रयोग करने हेतु श्री मोहिन्द्र सिंह, सदस्य राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण को एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. जे०-20018/8/2000 -सीपीए]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2001

S.O. 241(E).—Whereas it has become necessary to authorise one of the Members of the National Environment Appellate Authority to discharge the functions of the Chairperson;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 read with section 13 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997), the Central Government hereby authorises Shri Mohinder Singh, Member of the National Environment Appellate Authority to exercise the financial and administrative powers of the Chairperson, National Environment Appellate Authority, as provided under the National Environment Appellate Authority (Financial and Administrative Powers) Rules, 1998 in the absence of the Chairperson or Vice-Chairperson.

[F. No. Z-20018/8/2000-CPA]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

